

सैवा से,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय  
जनपद- कासगंज

पुषिका,

श्रीमती अन्नू  
अपर सिविल जज (जूडिज)  
नगीना, जनपद बिजनौर

विषय : भत्ते सम्बन्धी प्रमाण पत्र उदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

सादर निवेदन है कि द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग की  
संस्तुतियों के आधार पर शासनोद्देश सं० 140/दी-4-2024-45(1)/  
2020 टी०सी० के क्रम में परिधिया से अनुमन्य भत्तों के भुगतान  
हेतु सूचना आहृत की गयी है जिस कारण परिधिया को पेशाक  
भत्ता, फर्नीचर भत्ता, समाचार पत्र-पत्रिकाओं हेतु अनुमन्य भत्ता,  
बिजली खर्च जल के शुल्क भुगतान / अभुगतान सम्बन्धी  
प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त वर्णित भत्तों  
के सम्बन्ध में भुगतान / अभुगतान प्रमाण पत्र उदान  
किये जाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद

दिनांक - 14.03.2024

*Z. Annu*  
14.03.24  
पुषिका

श्रीमती अन्नू  
अपर सिविल जज (जूडिज)  
नगीना, बिजनौर